

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 184] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 15, 1978/भाद्र 24, 1900  
No. 184] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 15, 1978/BHADRA 24, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के  
रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1978

निर्यात व्यापार नियन्त्रण

सार्वजनिक सूचना सं० : 62 इटीसी (पीएन)/78

विषय : भारतीय भेड़ों के मांस का निर्यात

मिसिल सं० 1/5/78-ई I.--वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 47-ईटीसी (पी एन)/  
78 दिनांक 25-7-1978 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार भारतीय भेड़ों के मांस के  
मुक्त रूप से निर्यात करने की अनुमति पोत-परिवहन जिलों के प्रस्तुत करने पर 15-9-1978 तक  
कुछ शर्तों के अधीन प्रदान की गई थी।

3 स्थिति की पुनरीक्षा करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया है कि भारतीय भेड़ों के मांस की निर्यात की अनुमति 31-3-1979 तक बी जाए। उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना दिनांक 25 जुलाई, 1978 की बाकी शर्तें और नियम ज्यों के रयों रहेंगे।

का० वें० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

**MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION**

(Department of Commerce)

New Delhi, the 15th September, 1978

**EXPORT TRADE CONTROL**

**PUBLIC NOTICE NO. 62-ETC(PN)/78**

Sub : Export of Meat of Indian Sheep.

**File No. 1/5/78-EI.**—Attention is invited to Department of Commerce Public Notice No. 47-ETC(PN)/78 dated 25-7-1978 according to which the export of meat of Indian sheep was allowed freely upto 15-9-1978 on presentation of Shipping Bills subject to certain conditions.

2. On a review of the position, it has been decided to allow export of meat of Indian sheep upto 31-3-1979. All other terms and conditions of the aforesaid Public Notice dated the 25th July, 1978 shall remain unchanged.

**K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports**